न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 04/2004/223 आर टी ए

1. प्रहलाद पुत्र सुखराम जाति कुम्हार निवासी चक 19 एसएसडब्ल्यू रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2. हेतराम (फौत)

2/1 लिछमादेवी पत्नि स्व. हेतराम जाति कुम्हार निवासी चक 19 एसएसडब्ल्यू रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/2 प्रेमकुमार पुत्र स्व. हेतराम जाति कुम्हार निवासी चक 19 एसएसडब्ल्यू रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/3 मनीराम पुत्र स्व. हेतराम जाति कुम्हार निवासी चक 19 एसएसडब्ल्यू रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/4 राजकुमार पुत्र स्व. हेतराम जाति कुम्हार निवासी चक 19 एसएसडब्ल्यू रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/5 मोहरांदेवी (पुत्री स्व. हेतराम) पत्नि सूरजभान जाति कुम्हार निवासी शेरगढ़ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

2/6 रोशनीदेवी (पुत्री स्व. हेतराम) पत्नि पालाराम जाति कुम्हार निवासी बाहिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।

2/7 सावित्रीदेवी (पुत्री स्व. हेतराम) पत्नि मुखराम जाति कुम्हार निवासी बाहिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।

2/8 सन्तोदेवी (पुत्री स्व. हेतराम) पत्नि औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी भूनां चका तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।

2/9 चन्द्रावली (पुत्री स्व. हेतराम) पत्नि महेन्द्रकुमार जाति कुम्हार निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांटस

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1. कलावती (फौत)

1/1 औकार पुत्र निहालाराम (फौत)

1/2 मनीष पुत्र औंकार (फौत)

1/2/1 श्रीमति ममता पत्नि स्व. मनीषकुमार जाति कुम्हार निवासी चुडियावाली धन्ना तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब।

1/2/2 सुरेश नाबालिग पुत्र स्व. मनीषकुमार जरिये कुदरती वली माता ममता पत्नि स्व. मनीषकुमार जाति कुम्हार निवासी चुडियावाली धन्ना तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब।

1/2/3 हर्शिता नाबालिग पुत्री स्व. मनीषकुमार जरिये कुदरती वली माता ममता पत्नि स्व. मनीषकुमार जाति कुम्हार निवासी चुडियावाली धन्ना तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब।

1/2/4 गुंजन नाबालिग पुत्री स्व. मनीषकुमार जरिये कुदरती वली माता ममता पत्नि स्व. मनीषकुमार जाति कुम्हार निवासी चुडियावाली धन्ना तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब।

1/3 मु0 आरतीदेवी पुत्री औकार जाति कुम्हार निवासी चुडियावाली धन्ना तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब।

1/4 मु0 ब्रम्हादेवी पुत्री औकार जाति कुम्हार निवासी चुडियावाली धन्ना तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब।

1/5 मु0 रमेशरानी पुत्री औकार अ

2. मेवा पुत्री सुखराम (फौत)

2/1 श्रवणकुमार पुत्र स्व. हरीराम जाति कुम्हार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/2 रामकुमार पुत्र श्रवणकुमार माता स्व. मेवा जाति कुम्हार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/3 गोपीराम पुत्र श्रवणकुमार माता स्व. मेवा जाति कुम्हार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/4 गुजरदेवी (पुत्री श्रवणकुमार) पत्नि चिमनलाल जाति कुम्हार निवासी चूडियावाली धन्ना तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

2/5 कौशल्या देवी (पुत्री श्रवणकुमार) पत्नि जगदीश जाति कुम्हार निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2/6 पारादेवी (पुत्री श्रवणकुमार) पत्नि महेन्द्र जाति कुम्हार निवासी चूडियावाली धन्ना तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

3. पृथ्वी पुत्र मिश्री जाति कुम्हार निवासी चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4. औमप्रकाश पुत्र मिश्री जाति कुम्हार निवासी चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5. श्योपत पुत्र मिश्री जाति कुम्हार निवासी चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. महावीर पुत्र मिश्री जाति कुम्हार निवासी चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7. लिछमा पुत्री मिश्री जाति कुम्हार निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

8. कमला पुत्री मिश्री (फौत)

8/1 लूणाराम पुत्र घीसाराम जाति कुम्हार निवासी 5 ई छोटी नाईवाला हाल आबाद श्रीराम कॉलोनी मकान नं. 28 गली नं. 2 श्रीगंगानगर।

8/2 उमाशंकर पुत्र लूणाराम (माता स्व. कमला) जाति कुम्हार निवासी 5 ई छोटी नाईवाला हाल आबाद श्रीराम कॉलोनी मकान नं. 28 गली नं. 2 श्रीगंगानगर।

8/3 पवन कुमार पुत्र पुत्र लूणाराम (माता स्व. कमला) जाति कुम्हार निवासी 5 ई छोटी नाईवाला हाल आबाद श्रीराम कॉलोनी मकान नं. 28 गली नं. 2 श्रीगंगानगर।

8/4 श्रीमति सरोज पुत्री लूणाराम (माता स्व. कमला) पत्नि औमप्रकाश पुत्र जगराज जाति कुम्हार निवासी समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

9. सन्तोदेवी पुत्री मिश्री जाति कुम्हार निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

10. सरबती बेवा फकीरचन्द जाति कुम्हार निवासी आर्यनगर कुरडी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

11. लीलूराम पुत्र फकीरचन्द जाति कुम्हार निवासी आर्यनगर कुरडी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

12. औमप्रकाश पुत्र फकीरचन्द जाति कुम्हार निवासी आर्यनगर कुरडी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

13. रामकुमार पुत्र फकीरचन्द जाति कुम्हार निवासी आर्यनगर कुरडी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

14. कृष्ण पुत्र फकीरचन्द जाति कुम्हार निवासी आर्यनगर कुरडी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

15. राजेन्द्र पुत्र फकीरचन्द जाति कुम्हार निवासी आर्यनगर कुरडी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
17. सुन्दर (पुत्री भागीरथ) पत्नि मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. औमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. धन्नाराम पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. महावीर पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. बादामी पुत्री भागीरथ पत्नि आदराम जाति कुम्हार निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
22. सन्तोष पुत्री भागीरथ पत्नि राजू जाति कुम्हार निवासी केरा तहसील अबोहर हाल हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. भागीरथ पुत्र खेताराम जाति कुम्हार निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. श्रीमति शकुन्तला पत्नि स्व. देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
25. राधेश्याम पुत्र स्व. देवीलाल जाति कुम्हार निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मु. शकुन्तला पत्नि स्व. देवीलाल जाति कुम्हार निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
26. विजय कुमार पुत्र स्व. देवीलाल जाति कुम्हार निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मु. शकुन्तला पत्नि स्व. देवीलाल जाति कुम्हार निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.12.2004 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 90/02 अनवानी कलावती बनाम प्रहलाद आदि

उपस्थित :—

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 16

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः—13.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 व 53 आरटीए का पेश किया कि रेस्पो0 सं. 1 के दादा मृतक सुखराम के नाम से चक 19 एसएसडब्ल्यू के प.न. 123/304 कि.न. 23, 24/1.06, प.न. 124/304 कि.न. 19 ता 20/3.02, प.न. 123/305 कि.न. 1 ता 11/11.00, 13 ता 25/13.00 तादादी 23.16 बीघा कुल 52 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन व कब्जा की रही। सुखराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि सुखराम के पुत्र व पुत्री ही की है। सुखराम के पुत्र लालचंद का दिनांक 26.10.58 को देहान्त हो चुका था, लालचंद की मृत्यु के बाद लालचंद के जायज व कानूनी वारिसान वादिया व उसकी माता सरबती थी। सरबती ने अपने समाज के रीतिरिवाज से अपने देवर फकीरा से करेवा कर लिया व लालचंद की एक मात्र वारिस वादिया ही रही। वादिया सुखराम की भूमि मे अपने पिता

लालचंद का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। जिसमे रेस्पो0 सं. 2 ता 9 ने एवं रेस्पो0 सं. 17 ता 22 की माता 23 की पत्नि 24 की सास 25, 26 की दादी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 18 ने अधीनस्थ न्याालय मे उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वादिया द्वारा प्रस्तुत सुखराम के सजरा खानदान को गलत बताते हुए सही खानदान पेश किया गया। मृतक सुखराम के रेशमा बेवा सुखराम, प्रहलाद, हेतराम, दो पुत्र मेवादेवी, मिश्रीदेवी एवं रामप्यारी तीन पुत्रिया है। इस प्रकार सुखराम के केवल मात्र 6 वारिस थे। रेशमा, तीनो पुत्रियों मिश्रीदेवी, मेवादेवी, रामप्यारी ने दिनांक 13.10.72 को विधिवत दस्तावेज दस्तबरदारी प्रतिवादीगण प्रहलाद व हेतराम के पक्ष मे निष्पादित करवाकर उपपंजीयक हनुमानगढ़ के समक्ष पेश करके तस्दीक करवा दी। अपीलांटस प्रतिवादी सं. 1 व 2 दस्तबरदारी के आधार पर अपने नाम से मृतक सुखराम के नाम की भूमि का इंतकाल बहिस्सा बराबर दर्ज करवा लिया। लालचंद व फकीरचंद नाम के मृतक सुखराम पुत्र मामराज के कोई लड़के नही थे और नाह बख्तावरी नाम की कोई पत्नि थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.04 द्वारा वाद वादिया प्राथमिक डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में लिखित बहस मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि इस प्रकरण मे मुख्य रूप से पैतृकता का विवाद है। रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं को कथित लालचंद पुत्र स्व. सुखराम की पुत्री होना ब्यान करते हुए प्रश्नगत 50 बीघा भूमि मे 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने व कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। रेस्पो0 सं. 1 ना तो कथित लालचंद की पुत्री है और ना ही कथित लालचंद स्व. सुखराम का पुत्र था।अपीलांट ने यह भी कथन किया कि कलावती का सुखराम के परिवार से कोई संबंध नही है तथा उसे इस बात का भी ज्ञान नही है कि सुखराम की कितनी पुत्रियां थी। रेस्पो0 सं. 1 ने अपने वादपत्र मे स्व. सुखराम की एक पुत्री रामप्यारी का उल्लेख तक नही किया जिसका कारण यही रहा है कि उसे स्व. सुखराम के परिवार के सदस्यो का कोई ज्ञान नही है। वस्तुतः वादिया कलावती फकीरचंद की ही पुत्री थी तथा यह तथ्य राजस्व वाद सं. 202/76 प्रदर्श ए–4 भी साबित है। प्रदर्श ए–4 से यह तथ्य भी साबित है कि सरबती कथित लालचंद की पत्नि कभी नही रही यदि वास्तव मे सरबती कथित लालचंद की पत्नि होती व लालचंद के देहान्त उपरांत उसके फकीरचंद से करेवा किया हुआ होता तो निश्चित रूप से प्रदर्श ए–4 वादपत्र मे इन कथनो का समावेश होता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत समस्त विवाधको का निर्णय पारित करने के बाद वादिया का कथित रूप से 1/7 हिस्सा का खातेदार घोषित किया है। यद्यपि वादिया कलावती लालचंद को सुखराम का पुत्र होना

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

व स्वयं का लालचंद के नुत्फा से उत्पन्न पुत्री होना साबित नही किया है बकौल उक्त निर्णय भी वादिया का प्रश्नगत 50 बीघा 7 बिस्वा भूमि मे 1/7 हिस्सा नही हो सकता क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने फकीरचंद को भी सुखराम का पुत्र माना है तथा सुखराम के देहान्त उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष अनुसार स्व. सुखराम के कुल वारिस अर्थात लालचंद, प्रहलाद, हेतराम, फकीरचंद, मेवा, मिश्री, रामप्यारी व पत्नि रेश्मा हुये। इस कदर कथित लालचंद का 1/8 हिस्सा बनता है। लालचंद की मृत्यु होने पर उसका 1/8 हिस्सा उसकी पत्नि सरबती, माता रेशमा व कलावती को बहिस्सा बराबर प्राप्त होगा तथा सरबती के पुनर्विवाह करने मात्र से उसको न्यागत हुआ हिस्सा वादिया को प्राप्त नही हो सकता। इस प्रकार कलावती का मात्र 1/36 हिस्सा अर्थात 0.531 है0 ही हो सकता है। इससे अधिक हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार भी रेस्पो0 सं. 1 प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन मे एआईआर 1972 पेज 148, एआईआर 1983 पेज 684, आरआरडी 1989 पेज 527, आरआरडी 1989 पेज 774 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में जवाब लिखित बहस मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वारिसनामा के संबंध मे हल्का पटवारी की रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाण पत्र लालचंद पुत्र सुखराम को अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत माना है। अपीलांट ने प्रदर्श ए–4 पर जोर दिया जो स्वयं अपीलांट द्वारा ही प्रस्तुत किया गया ही दस्तावेज है। जिसमे अपीलांट द्वारा यह दर्शाने की कोशिश की है कि कलावती का दूसरा नाम गुड्डी है और गुड्डी फकीरचंद की बेटी है। एक तरफ अपीलांट अपने जवाबदावा के माध्यम से यह तथ्य अंकित करते है कि फकीरचंद को हम नही जानते और दूसरी तरफ प्रदर्श ए–4 के जरिये यह साबित करने की कोशिश करते है कि लीलूराम द्वारा प्रहलाद के खिलाफ दावा पेश किया गया था, इस दस्तावेज मे फकीरचंद को सुखराम का पुत्र मानकर वाद प्रस्तुत किया गया है जो अपने आप मे अहम दस्तावेज है। यदि फकीरचंद को सुखराम का पुत्र इस दस्तावेज के आधार पर माना जाता है तो ये सब तथ्य वादिया ने अपने वादपत्र मे अंकित किये थे। अपीलांट ने मौन स्वीकृति से यह स्वीकार किया है कि कलावती लालचंद की पुत्री है और लालचंद सुखराम का पुत्र है और सुखराम के वारिसान मे लालचंद, प्रहलाद, हेतराम, फकीरचंद, मेवा, मिश्री, रामप्यारी व पत्नि रेशमी कुल 8 वारिस स्वीकार किये है और आठवे हिस्से अनुसार लालचंद की मृत्यु के बाद उसका 1/8 हिस्सा मे पत्नि सरबती, माता रेशमा व कलावती का हिस्सा बराबर माना है। विधिसम्मत रूप से धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सुखराम की मृत्यु उस दिन मानी जायेगी जिस दिन लालचंद की मृत्यु होती है। अपीलांट के इस कथन को स्वीकार भी कर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

लिया जाये तो यह तथ्य स्पष्ट है कि सुखराम की मृत्यु के बाद रेशमा देवी ने अपने समस्त हक व हिस्सा का त्याग कर दिया। रेशमादेवी के हक व हिस्सा त्याग करने बाद मृतक सुखराम की भूमि 50.07 बीघा मे लालचंद के हिस्सा मे वादिया का 1/2 हिस्सा हुआ और कुल 50.07 बीघा भूमि मे मेवा देवी, मिश्रीदेवी व रामप्यारी ने भी अपना हक त्याग कर दिया। इस प्रकार 50.07 बीघा कृषि भूमि मे लालचंद, फकीरचंद, प्रहलाद व हेतराम प्रत्येक का 1/4 हिस्सा हुआ। लालचंद का 1/4 हिस्सा 12.12 बीघा बनता है जिसमे वादिया का सरबती के साथ 1/2 हिस्सा बनता है जो कि 6.06 बीघा बनता है। वादिया इस हिस्सा को स्वीकार करती है। इसके अलावा सरबती की मृत्यु के उपरांत वादिया का 6.06 मे 1/5 हिस्सा और प्राप्त होगा। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 2005(12) पेज 376, आरआरटी 2014(1) पेज 509 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 व 53 आरटीए का पेश किया कि रेस्पो0 सं. 1 के दादा मृतक सुखराम के नाम से चक 19 एसएसडब्ल्यू के प.न. 123/304 कि.न. 23, 24/1.06, प.न. 124/304 कि.न. 19 ता 20/3.02, प.न. 123/305 कि.न. 1 ता 11/11.00, 13 ता 25/13.00 तादादी 23.16 बीघा कुल 52 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन व कब्जा की रही। सुखराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि सुखराम के पुत्र व पुत्री ही की है। सुखराम के पुत्र लालचंद का दिनांक 26.10.58 को देहान्त हो चुका था, लालचंद की मृत्यु के बाद लालचंद के जायज व कानूनी वारिसान वादिया व उसकी माता सरबती थी। सरबती ने अपने समाज के रीतिरिवाज से अपने देवर फकीरा से करेवा कर लिया व लालचंद की एक मात्र वारिस वादिया ही रही। वादिया सुखराम की भूमि मे अपने पिता लालचंद का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। जिसमे रेस्पो0 सं. 2 ता 9 ने एवं रेस्पो0 सं. 17 ता 22 की माता 23 की पत्नि 24 की सास 25, 26 की दादी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 18 ने अधीनस्थ न्याालय मे उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वादिया द्वारा प्रस्तुत सुखराम के सजरा खानदान को गलत बताते हुए सही खानदान पेश किया गया। मृतक सुखराम के रेशमा बेवा सुखराम, प्रहलाद, हेतराम, दो पुत्र मेवादेवी, मिश्रीदेवी एवं रामप्यारी तीन पुत्रिया है। इस प्रकार सुखराम के केवल मात्र 6 वारिस थे। रेशमा, तीनो पुत्रियों मिश्रीदेवी, मेवादेवी, रामप्यारी ने दिनांक 13.10.72 को विधिवत दस्तावेज दस्तबरदारी प्रतिवादीगण प्रहलाद व हेतराम के पक्ष मे निष्पादित करवाकर उपपंजीयक हनुमानगढ़ के

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

समक्ष पेश करके तस्दीक करवा दी। अपीलांटस प्रतिवादी सं. 1 व 2 दस्तबरदारी के आधार पर अपने नाम से मृतक सुखराम के नाम की भूमि का इंतकाल बहिस्सा बराबर दर्ज करवा लिया। लालचंद व फकीरचंद नाम के मृतक सुखराम पुत्र मामराज के कोई लड़के नही थे और नाह बख्तावरी नाम की कोई पत्नि थी। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 का 1/7 हिस्सा मानते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.04 द्वारा वाद वादिया प्राथमिक डिक्री किया गया।

6. अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत समस्त विवाधको का निर्णय पारित करने के बाद वादिया का कथित रूप से 1/7 हिस्सा का खातेदार घोषित किया है। यद्यपि वादिया कलावती लालचंद को सुखराम का पुत्र होना व स्वयं का लालचंद के नुत्फा से उत्पन्न पुत्री होना साबित नही किया है बकौल उक्त निर्णय भी वादिया का प्रश्नगत 50 बीघा 7 बिस्वा भूमि मे 1/7 हिस्सा नही हो सकता क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने फकीरचंद को भी सुखराम का पुत्र माना है तथा सुखराम के देहान्त उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष अनुसार स्व. सुखराम के कुल वारिस अर्थात लालचंद, प्रहलाद, हेतराम, फकीरचंद, मेवा, मिश्री, रामप्यारी व पत्नि रेशमा हुये। इस कदर कथित लालचंद का 1/8 हिस्सा बनता है। लालचंद की मृत्यु होने पर उसका 1/8 हिस्सा उसकी पत्नि सरबती, माता रेशमा व कलावती को बहिस्सा बराबर प्राप्त होगा तथा सरबती के पुनर्विवाह करने मात्र से उसको न्यागत हुआ हिस्सा वादिया को प्राप्त नही हो सकता। इस प्रकार कलावती का मात्र 1/36 हिस्सा अर्थात 0.531 है0 ही हो सकता है। इससे अधिक हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार भी रेस्पो0 सं. 1 प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

7. रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि मे 1/6 हिस्सा की घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुखराम के कुल 7 वारिस मानते हुए स्व. सुखराम के पुत्र लालचंद के 1/7 हिस्सा वादिया/रेस्पो0 सं. 1 को दिया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि जो स्व. सुखराम की थी जिसमे सुखराम की मृत्यु के बाद रेशमा, तीनो पुत्रियों मिश्रीदेवी, मेवादेवी, रामप्यारी ने दिनांक 13.10.72 को विधिवत दस्तावेज दस्तबरदारी प्रतिवादीगण प्रहलाद व हेतराम के पक्ष मे निष्पादित करवाकर उपपंजीयक हनुमानगढ़ के समक्ष पेश करके तस्दीक करवा दी। जिससे वादग्रस्त भूमि मे सुखराम की पत्नि रेशमा व पुत्रियां मिश्रीदेवी, मेवादेवी व रामप्यारी का हक समाप्त हो गया तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त तथ्य को नजदअंदाज करते हुए लालचंद के 1/7 हिस्सा कलावती को दे दिया गया परन्तु लालचंद के अन्य वारिसान के संबंध मे कोई जांच एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करवाये गये जबकि लालचंद की मृत्यु के बाद उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान मे लालचंद की माता व पत्नि भी थी।

8. इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कलावती को स्व. लालचंद की पुत्री मानकर स्व. सुखराम की भूमि मे उत्तराधिकारी मानने की हद तक अधीनस्थ न्यायालय आदेश की पुष्टि किया जाना उचित है परन्तु कलावती के हिस्से का निर्धारण वादग्रस्त भूमि मे 1/7 हिस्सेदार मानकर घोषणा किया जाना त्रुटिपूर्ण है। कलावती के हिस्से का निर्धारण करते समय दस्तबरदारी दिनांक 13.10.1972 एवं स्व. सुखराम की मृत्यु की दिनांक को लालचंद के विधिक उत्तराधिकारीगण की सही विवेचना करते हुए हिस्से का निर्धारण करना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनो तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2004 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे एक अतिरिक्त विवाद्याक इस आशय का विरचित किया जावे कि रेश्मादेवी, मिश्री, मेवा और रामप्यारी द्वारा प्रहलाद व हेतराम के पक्ष मे निष्पादित/पंजीकृत दस्तबरदारी विलेख दिनांक 13.10.1972 का वादग्रस्त भूमि के पक्षकारो के स्वामित्व निर्धारण पर क्या प्रभाव होगा तथा विशेषतयाः रेस्पोडैंट कलावती के हितो एवं स्वामित्व पर क्या असर होगा। उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यक का निस्तारण करते हुए प्रकरण मे स्व. सुखराम की मृत्यु की दिनांक को रेस्पो. कलावती के मृतक पिता लालचंद के विधिक उत्तराधिकारीगण की भी जांच करते हुए रेस्पो0 कलावती के हको का निर्धारण करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.05.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ